

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

शुद्धि पत्र

जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पटना के उपावंटनादेश ज्ञापांक 476/आ०प्र० दिनांक 20.05.14 में टंकणीय भूलवश संबंधित कोषगार से वित्तीय वर्ष 2013-14 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, अंकित हो गया है, के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2014-15 पढ़ा जाय।

उपर्युक्त संशोधन के अतिरिक्त उपावंटनादेश ज्ञापांक 476/आ०प्र० दिनांक 20.05.14 में को यथावत समझा जाय।

ह०/—

जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-06/14-15 50१ /आ०प्र०, दिनांक २७/०५/२०१४

प्रतिलिपि :— अंचल अधिकारी, दनियावाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— कोषाग्नर पदाधिकारी, पटना/उप कोषाग्नर पदाधिकारी, पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :— जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :— आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।